

**न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी**  
**चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0**

**दांडिक प्रकरण क.-750/2014**  
**संस्थित दिनांक- 23.12.2014**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

**विरुद्ध**

भरोसा उर्फ भरोसीलाल पुत्र घासीराम अहिरवार  
उम्र 46 साल निवासी रामनगर तहसील चंदेरी  
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

**-: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 17.05.2018 को घोषित)**

- 01- अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 279, 337, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 18.11.2014 को समय 09:30 बजे स्थान थाना चंदेरी कटीघाटी स्थित रामनगर रोड पर मोटरसाईकिल क्रमांक M.P. 08 L 7640 को बिना डाईविंग लाईसेंस एवं बीमें के लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत जितेंद्र को टक्कर मारकर साधारण उपहति एवं आहत कस्तुरीबाई को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.11.2014 को रात करीबन 09:30 बजे मोटरसाईकिल से कस्तुरीबाई को लेकर रामनगर से अपने घर चंदेरी जा रहा था, कटीघाटी चढ़ने पर सामने से चंदेरी तरफ से एक मोटरसाईकिल वाला बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और जितेंद्र में टक्कर मार दी, जिससे जितेंद्र व कुस्तरीबाई वहीं गिर पड़े। टक्कर लगने से उसके दाहिने पैर के पंजे व अंगूठा दाहिने हाथ के बाजू व सीने में चोटें आई। कस्तुरीबाई को दाहिने पैर दोनों हाथों के पंजों व शरीर में अन्य जगह चोटें आई। जितेंद्र ने देखा, तो मोटरसाईकिल वाले को देखा तो वह रामनगर का मोहन ढीमर था तथा जिसका रिश्तेदार मोटरसाईकिल चला रहा था, मोहन उसके पीछे बैठा था। मोहन व उसका रिश्तेदार मोटरसाईकिल लेकर चले गये। फरियादी जितेंद्र व आहत कस्तुरीबाई द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 511/14 अंतर्गत धारा- 279, 337, 338 भा0द0वि0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 एवं 3/181 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.09.2017 को फरियादी जितेंद्र व आहत कस्तुरीबाई द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द.प्र.स. के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 337, 338 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त पर आरोपित भा.द.वि. की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.11.2014 को समय 09:30 बजे स्थान थाना चंदेरी कटीघाटी स्थित रामनगर रोड पर मोटरसाईकिल क्रमांक M.P. 08 L 7640 को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर वाहन क्रमांक M.P. 08 L 7640 को लोकमार्ग पर बिना बीमें के चलाया ?
3.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर वाहन क्रमांक M.P. 08 L 7640 को लोकमार्ग पर बिना डार्इविंग लाईसेंस के चलाया ?
4.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 02, 03 एवं 04 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—**

- 06—फरियादी जितेंद्र कुमार (अ0सा0—2) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि उसके कथन देने के दिनांक लगभग दो साल पहले रात्रि 09:30—10 बजे अपनी मोटरसाईकिल से अपनी नानी कस्तुरीबाई के साथ रामनगर से चंदेरी आ रहा था और जब वह रास्ते में कटी घाटी से चढ़ाई चढ रहा था, तो अभियुक्त अपनी मोटरसाईकिल को बड़ी लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी साईड पर आकर मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे वह और उसकी नानी गिर पड़ी। जिसके बाद वह नानी को वही

छोड़कर वापस रामनगर पहुंचा था और अपनी मौसी व मौसी के लड़के सुजान को वापस लेकर आया और नानी को चंदेरी अस्पताल ले गया।

07—जितेन्द्र (अ0सा0—2) का कहना है कि अभियुक्त हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल चला रहा था तथा एक्सीडेंट होने के बाद वहां से भाग गया एवं एक्सीडेंट होने से उसकी टी.वी.एस. स्पोर्ट्स नंबर 5620 का आगे का मास्क टूट गया था और लैगगार्ड भी टूट गया था। जितेन्द्र (अ0सा0—2) के अनुसार उसने यह घटना की रिपोर्ट रात्रि में ही लगभग 12:00 बजे थाने पर की थी तथा रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पर फरियादी ने अपना हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किये हैं।

08—जितेन्द्र (अ0सा0—2) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित व स्थिर हैं तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 03 में भी इस साक्षी का यह स्पष्ट कहना है कि दुर्घटना चंदेरी साईड को जाते वक्त हुई थी, तथा अभियुक्त की जिस गाडी से एक्सीडेंट हुआ था उस गाडी पर पीछे अभियुक्त के साथ मोहन ढीमर भी बैठा था। फरियादी जितेन्द्र (अ0सा0—2) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन पूरी तरह से अभियोजन घटना का समर्थन करते हैं जो विरोधाभास रहित हैं तथा फरियादी के कथनों की पुष्टि प्रकरण में उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 से भी होती है।

09—अभियोजन की ओर से घटना में अन्य आहत फरियादी जितेन्द्र (अ0सा0—2) की नानी कस्तुरीबाई (अ0सा0—1) के कथन भी न्यायालय में कराये गये हैं। न्यायालीन कथनों में कस्तुरीबाई (अ0सा0—1) ने फरियादी जितेन्द्र (अ0सा0—2) के द्वारा बताई गई घटना की पुष्टि करते हुये व्यक्त किया है कि वह दो साल पहले जितेन्द्र के साथ दो पहिया गाडी से रामनगर से प्राणपुर जा रही थी और जैसे उनकी गाडी रामनगर की घटिया चढ़ रही थी, तो अभियुक्त की दो पहिया गाडी जो कि ऊपर से नीचे आ रही थी, उनकी गाडी को टक्कर मार दी थी, जिससे वह और जितेन्द्र (अ0सा0—2) नीचे गिरे गये।

10—कस्तुरीबाई (अ0सा0—1) के उपरोक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे हैं। तथा इस साक्षी ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह स्पष्ट किया है कि वह जितेन्द्र के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर रामनगर से चंदेरी आ रही थी और आरोपी की गाडी चंदेरी से रामनगर आ रही थी तथा रात्रि 10:00 बजे उसके दाहिने हाथ की तरफ दोनों गाडिया टकरा गई थी। कस्तुरीबाई (अ0सा0—1) भी यह कहना है कि उनके गिरने के बाद अभियुक्त वहां से भाग गया था।

11—रामकली बाई (अ0सा0—3) ने भी अभियोजन का समर्थन करते हुये फरियादी जितेन्द्र (अ0सा0—2) व कस्तुरीबाई (अ0सा0—1) के कथनों की पुष्टि करते हुये अपने न्यायालीन कथनों में स्पष्ट किया है कि दो साल पहले रात्रि 09:00—10:00 बजे उसकी मां

- कस्तुरीबाई (अ0सा0-1) जो कि उसके पास रामनगर में रहती थी, को जितेन्द्र गाडी से लेने आया था और वह लोग खाना खाकर घर से निकले थे। रामकली बाई (अ0सा0-3) का कहना है कि कटी घाटी तक जितेन्द्र मां को ले जा पाया था, वहां पर भरोसीलाल ने अपनी दो पहिया मोटरसाईकिल से टक्कर मारी थी। इस साक्षी ने भी अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि मोटरसाईकिल भरोसीलाल चला रहा था तथा उसके पीछे मोहन बैठा था और टक्कर लगने से दोनों मोटरसाईकिल छोड़कर भाग गये थे।
- 12—अतः रामकली (अ0सा0-3) के द्वारा दिये गये कथनों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को रात्रि 09:00—10:00 बजे उसकी मां कस्तुरीबाई जितेन्द्र के साथ मोटरसाईकिल से रामनगर से चंदेरी के लिये गई थी, तो रास्ते कटीघाटी के पास अभियुक्त भरोसीलाल ने अपनी मोटरसाईकिल से जितेन्द्र (अ0सा0-2) की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया था उस समय मोटरसाईकिल पर भरोसीलाल के साथ मोहन (अ0सा0-4) भी था।
- 13—मोहन (अ0सा0-4) ने हालांकि अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का इस बात पर समर्थन नहीं किया है कि अभियुक्त के द्वारा मोटरसाईकिल उपेक्षा व उतावलेपन से चलाने के कारण घटना घटित हुई थी, परन्तु इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में जितेन्द्र (अ0सा0-2) व रामकली (अ0सा0-3) के कथनों की पुष्टि करते हुये घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति प्रमाणित की है तथा इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना दिनांक को भरोसीलाल के पीछे मोटरसाईकिल पर बैठा था और यह भी स्वीकार किया है कि भरोसीलाल की मोटरसाईकिल से जितेन्द्र की मोटरसाईकिल का एक्सीडेंट हुआ था।
- 14—अनुसंधानकर्ता अधिकारी पृथ्वीपाल (अ0सा0-5) के द्वारा प्रकरण में जप्तीपंचनामा प्रदर्शपी-05 के अनुसार अभियुक्त के प्रस्तुत करने पर मोटरसाईकिल जप्त की गई हैं। स्वयं बचाव पक्ष के द्वारा फरियादी सहित सभी साक्षियों के कथनों में घटना स्थल पर अभियुक्त व मोहन (अ0सा0-4) की उपस्थिति व एक्सीडेंट होने के घटना को स्वीकार किया गया है तथा बचाव पक्ष की ओर से मोहन (अ0सा0-4) व रामकली (अ0सा0-3) के प्रतिपरीक्षण में दिये गया सुझाव कि भरोसीलाल के द्वारा पंचायत में ईलाज के लिये रुपये देने का प्रस्ताव दिया गया था, को साक्षियों ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में भी स्वीकार किया गया है जो अभियोजन घटना की सत्यता को और बल प्रदान करता है। बचाव पक्ष का कहीं भी यह बचाव नहीं है कि अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा जप्त की गई मोटरसाईकिल घटना दिनांक को अभियुक्त नहीं चला रहा था व इस मोटरसाईकिल से अभियुक्त के द्वारा घटना कारित नहीं की गई।
- 15—अतः फरियादी जितेन्द्र (अ0सा0-2) सहित आहत कस्तुरीबाई (अ0सा0-1) की अखण्डित साक्ष्य व घटना के संबंध में रामकली (अ0सा0-3) के द्वारा फरियादी व कस्तुरीबाई

(अ0सा0-1) के कथनों की पुष्टि करने से एवं मोहन (अ0सा0-4) के द्वारा घटना स्थल पर अभियुक्त के साथ अपनी उपस्थिति स्वीकार करने व फरियादी की मोटरसाईकिल से एक्सीडेंट होना स्वीकार करने से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को फरियादी जितेन्द्र (अ0सा0-2) अपनी नानी कस्तुरीबाई (अ0सा0-1) को मोटरसाईकिल से बैठाकर जब रामनगर से चंदेरी आ रहा था, तो अभियुक्त भरोसीलाल की मोटरसाईकिल जो प्रकरण में जप्त की गई तथा जिसे स्वयं भरोसीलाल चला रहा था और उसके पीछे मोहन (अ0सा0-4) बैठा था, से फरियादी की गाडी का एक्सीडेंट हुआ था।

- 16—जितेन्द्र (अ0सा0-2) व कस्तुरीबाई (अ0सा0-1) सहित रामकली (अ0सा0-3) व मोहन (अ0सा0-4) ने अपने कथनों में घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल का नंबर भले ही नहीं बताया है, पर जितेन्द्र (अ0सा0-2) ने अपने मुख्यपरीक्षण की कण्डिका 02 में स्पष्ट किया है कि अभियुक्त हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल चला रहा था जो कि उसने लापरवाही से चलाई, उसकी मोटरसाईकिल नंबर 5620 में टक्कर मार दी। कस्तुरीबाई (अ0सा0-1) ने अपने कथनों में यह व्यक्त किया है कि अभियुक्त की गाडी कैसे चल रही थी उसने नहीं देखा उसने यह देखा कि अभियुक्त ने सीधे आकर उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी।
- 17—साक्षी मोहन (अ0सा0-4) ने भले ही अपने कथनों में अभियुक्त को बचाव करते हुये फरियादी की मोटरसाईकिल को उसके द्वारा लहराते हुये चलाना बताया है व अभियुक्त की गाडी को धीरे धीरे चलाना बताया है, पर यह साक्षी के कथनों को इस दृष्टि से भी देखा जाना है कि जब समय अभियुक्त के साथ ही मोटरसाईकिल पर बैठा था, जिससे इस साक्षी के कथन अभियुक्त के पक्ष में होना स्भाविक है। फरियादी जितेन्द्र (अ0सा0-2) ने स्पष्ट रूप से कथन दिये हैं कि अभियुक्त ने लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल में टक्कर मारी है। वहीं आहत कस्तुरीबाई (अ0सा0-1) अभियुक्त के द्वारा ही उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मारने के संबंध में कथन देती है। जो यह साबित करता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त के द्वारा जप्तशुदा मोटरसाईकिल को उपेक्षा व उतावलेपन से चंदेरी से रामनगर के बीच कटी घाटी के पास लोक मार्ग पर चलाया गया तथा फरियादी सहित अन्य का मानव जीवन संकटापित्त किया गया।
- 18—अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रदर्श पी 05 के जप्तीपत्रक के अनुसार अभियुक्त के अधिपत्य से होराहोण्डा कंपनी की मोटरसाईकिल M.P. 08 L 7640 जप्त की गई है। घटना दिनांक को लोक मार्ग पर अभियुक्त ने इसी मोटरसाईकिल को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर घटना कारित की, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित है। घटना दिनांक को जप्तशुदा वाहन बीमित था तथा उसे चलाने का अभियुक्त के पास डाईविंग लाईसेंस था, यह साबित करने का भार अभियुक्त पर था, परन्तु अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में इस आशय की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जो यह प्रमाणित कर सके कि जप्तशुदा वाहन से लोक मार्ग पर जब घटना कारित हुई, तो उस

समय अभियुक्त के पास वाहन चलाने का डाईविंग लाईसेंस था एवं जप्तशुदा मोटरसाईकिल का बीमा भी था।

- 19—परिणाम स्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि दिनांक 18.11.2014 को समय 09:30 बजे स्थान थाना चंदेरी कटीघाटी स्थित रामनगर रोड पर मोटरसाईकिल क्रमांक M.P. 08 L 7640 को बिना डाईविंग लाईसेंस एवं बीमें के लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापित किया।
- 20—फलतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त भरोसा उर्फ भरोसीलाल पुत्र घासीराम अहिरवार को भा.द.वि. की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के आरोप प्रमाणित होने से अभियुक्त भरोसा उर्फ भरोसीलाल पुत्र घासीराम अहिरवार को भा.द.वि. की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
- 21—अतः अभियुक्त भरोसा उर्फ भरोसीलाल पुत्र घासीराम अहिरवार को भा.द.वि. की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध कर दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अभियुक्त की आयु, अपराध की प्रकृति, परिस्थिति एवं गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रकट नहीं होता है।
- 22—अभियुक्त भरोसा उर्फ भरोसीलाल पुत्र घासीराम अहिरवार को भा.द.वि. की धारा 279 के अपराध का दोषी पाते हुये उसे न्यायालय उठने तक कारावास एवं 500/— (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 05 दिवस (पांच दिवस) का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के अपराध का दोषी पाते हुये अभियुक्त को न्यायालय उठने तक कारावास एवं 500/— (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 05 दिवस (पांच दिवस) का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे, मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के अपराध का दोषी पाते हुये अभियुक्त को धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम के अपराध के लिये न्यायालय उठने तक कारावास एवं 300/— (तीन सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 दिवस (तीन दिवस) का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
- 23—अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के

उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति वाहन क्रमांक M.P. 08 L 7640 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा वाद मियाद अपील भारमुक्त समझा जावेगा। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी  
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी  
जिला अशोकनगर (म.प्र.)